राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 34 | जुलाई–सितम्बर 2010 | सीमित प्रसार के लिए

सम्पादकीय...

दो वर्षों से नहीं बढ़ी न्यूनतम मजदूरी

पिछले दो साल में देश में महंगाई की दर, सांसदों–विधायकों का वेतन और सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों की पगार बढ़कर दुगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन दिनभर हाड़तोड़ मेहनत करने वाले मजदूरों की मजदूरी अभी भी वहीं अटकी हुई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के प्रावधानों के कारण देश के किसी भी राज्य में मजदूरों को 100 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा मजदूरी नहीं मिल रही है। पिछले तीन साल में राजस्थान में मनरेगा में मजदूरी की यही दर चली आ रही है, जबकि तीन साल में महंगाई का ग्राफ आसमान छूने लगा है।

केन्द्र सरकार ने मनरेगा की मजदूरी 100 रुपए तय कर रखी है जो देश के करोड़ों मजदूरों के हितों पर गहरा कुठाराघात कर रही है। राजस्थान में मनरेगा के तहत औसत मजदूरी 75 रुपए प्रतिदिन आंकी गई है, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मजदूरों को 40–50 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा नहीं मिलते हैं। कई ईलाकों में नपती एवं कटौती के चक्कर में मजदूरों को मिलने वाली औसत मजदूरी 40–50 रूपए प्रतिदिन से अधिक नहीं होती।

छठे वेतन आयोग के कारण सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हमारी सरकारों ने पिछले 2–3 वर्षों में महंगाई को बेलगाम बढने दिया है। बढती महंगाई की आड़ में हमारे

मंहगाई से जोड़ो मजदूरी का नाता

जनप्रतिनिधियों ने अपने वेतन और भत्ते दोगुना तिगुना तक बढ़ा लिया है। छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद केन्द्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते भी काफी बढ़ोतरी हुई है।

पिछले महीने राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता 35 प्रतिशत से बढ़ा कर 45 प्रतिशत कर दिया। यही नहीं पूर्व कर्मचारियों के पेंशन पर भी मंहगाई भत्तों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई, अनुमान है कि इससे सरकार पर वर्ष में 1250 करोड़ रू का बोझ पडेगा जो सरकार खुशी खुशी उठाने को तैयार है। लेकिन राजस्थान सरकार मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढानें में वित की कमी का रोना रोती है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने मनरेगा के अलावा अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 100 रू से बढ़ा कर 135 रू कर चुकी है। यदि राज्य में पिछले वर्ष मनरेगा के अतंर्गत सृजित कार्य दिवसों को आधार मानें तो इन मजदुरों को न्यूनतम मजदूरी 100 रू से बढ़ा कर 135 रू करने पर कुल खर्च लगभग 1574 करोड़ रू आयेगा जो सरकारी कर्मचारियों के बढ़े मंहगाई भते से थोड़ा ही अधिक हैं परन्तु महत्वपूर्ण बात यह हैं कि सरकारी कर्मचारीयों के महगांई भत्ते के वृद्धि से जहां लगभग 7 लाख परिवारों को लाभ होगा वहीं लगभग इतने ही खर्च पर मनरेगा का न्यूनतम मजदूरी बढ़ानें से 65 लाख परिवारों को लाभ पहुंचेगा जो राज्य के कुल परिवारों की संख्या का आधा है। इसका मतलब यह है कि मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी में वृद्वि से राज्य में आधी आबादी को सीधा लाभ होगा। मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 100 रू से 135 रू करने पर होने वाला खर्च राज्य सरकार के वर्ष 2010–11 के कुल बजट के 3 प्रतिशत से भी कम है। केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी नहीं बढाने की स्थिति में भी राज्य सरकार राजस्थान में इसे लागू कर एक मिसाल कायम कर सकती है।

देश के विभिन्न हिस्सों में अब यह मांग उठने लगी है कि मजदूरी को महंगाई से जोड़ा जाना चाहिए ताकि मजदूर अपने परिवार का गुजर–बसर कर सके। हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी की राशि में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में अब अकुशल मजदूर को 100 रुपए की जगह 135 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है जबकि मनरेगा में काम कर रहे लाखों मजदूरों को अभी भी 100 रुपए की दर से ही मजदूरी दी जाएगी। सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान के बैनर तले सैकड़ों मनरेगा मजदूर पिछले दो अक्टूबर से राजधानी में सत्याग्रह पर बैठे हैं, लेकिन हमारी सरकार को इन मजदूरों की मांगों की कोई चिंता नहीं है। अब देखना यह है कि दिल्ली और जयपुर में बैठी हमारी सरकारें शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह पर बैठे इन मजदूरों की कब तक परीक्षा लेती है।

बिना बजट कैसे सुधरे बच्चों की सेहत?

बाल स्वास्थ्य, पोषण व सुरक्षा के लिए दस प्रतिशत से भी कम बजट

जहां एक ओर पिछले दस वर्षों में राज्य बजट में प्रति वर्ष बढ़ोतरी देखने को मिलती है वही दूसरी ओर इस आर्थिक विकास से राज्य में बच्चों की स्थिति में कोई खास सुधार देखने को नही मिला। जनगणना 2001 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या की लगभग 48 प्रतिशत जनसंख्या केवल 0 से 18 वर्ष के बच्चों की है। यदि राजस्थान में बच्चों की स्थिति की ओर गौर किया जाये तो बहुत ही चिन्ताजनक संकेत दिखाई पड़ते हैं। राजस्थान में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्म पर 63 है, बच्चों में सम्पूर्ण टीकाकरण की दर केवल 26.5 प्रतिशत है जबकि राज्य में छह माह से तीन वर्ष तक की आयु के 36. 8 प्रतिशत बच्चे अल्पवजनता के शिकार हैं जो भारत की तुलना में अधिक है और साथ ही बड़ रही मंहगाई की दर से यह तो सुनिश्चित हो गया है कि बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति और भी दयनीय हो सकती है।

अब जरा राज्य में बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सुरक्षा पर किये गये खर्च पर नजर डाले तो वर्ष 2008–09 में राज्य बजट में आवंटित प्रत्येक 100 रूपये में से राज्य के बच्चों को केवल 18.87 रूपये की राशि मिली है। वर्ष 2010–11 में राज्य सरकार द्वारा बच्चों के लिये पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्रों के लिये राज्य के कुल बजट का 20.44 प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है। ग्राफ सं–1 में बच्चों को आवंटित कुल बजट का क्षेत्रवार अध्ययन किया जाये तो शिक्षा के क्षेत्र में 90.47 प्रतिशत बजट आवंटन किया गया है वहीं 8.85 प्रतिशत पोषण, 0.54 प्रतिशत स्वास्थ्य एवं अंत में 0.14 प्रतिशत सुरक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया गया है। राज्य में बच्चों के लिये कुल आवंटित बजट में से शिक्षा को छोड़ कर पाषण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में महज 1 से 10 प्रतिशत राशि ही आवंटित की गई है।

बाल पोषण : 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को विशेष देखभाल हेतु एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा समेकित बाल विकास योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2009–10 में 662.85 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2010–11 में 924.38 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है जो की पिछले वर्ष की तुलना में 28.29 प्रतिशत अधिक है। जनगणना 2001 के अनुसार राज्य में 0 से 6 वर्ष की आयु की कुल जनसंख्या लगभग एक करोड़ 6 लाख हैं परन्तु आईसीडीएस के अन्तर्गत 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को दी जाने वाली सेवाओं के लिये केवल 38 लाख 69 हजार बच्चों का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं। आईसीडीएस के अन्तर्गत राजस्थान में वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत कुल 54,915 स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 48,353 संचालित है अर्थात केवल 88.05 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्र ही संचालित है। 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या की तुलना में लाभान्वित बच्चों की संख्या बहुत कम है और साथ ही राज्य के बच्चों की कुपोषध की स्थिति में कोई खास सुधार नही है। बाल विकास हेतु बच्चों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुऐ आवंटित राशि बुहत कम है।

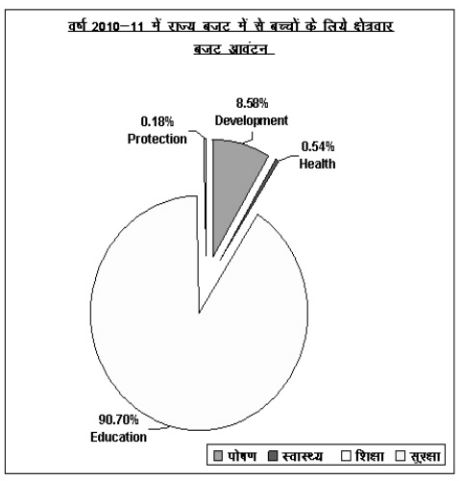

बाल स्वास्थ्य : हमारे देश में बच्चों के स्वास्थ्य के संकेत निराशाजनक बने हुऐ हैं। वैसे ही जैसे राज्य सरकार द्वारा बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में आवंटित बजट के आंकड़ें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बच्चों के लिये वर्ष 2005–06 में 0.17 प्रतिशत राशि ही व्यय की गई। पिछले चार वर्षों में बजट राशि को घटकर केवल 0.11 प्रतिशत ही रह गई है। इस क्षेत्र में पहले से ही एक प्रतिशत से भी कम राशि आवंटित की जा रही है उसमें भी सरकार निरंतर कटौती कर रही है। जबकि राज्य में बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही निराशाजनक बनी हुई है।

बाल शिक्षा : जिला शिक्षा सूचना प्रणाली की रिपोर्ट 2009 के अनुसार वर्ष 2007–08 में राजस्थान के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 21 प्रतिशत एकल शिक्षक विद्यालय है। लगभग 34 प्रतिशत विद्यालयों में एक भी महिला शिक्षक नही हैं। स्कूलों में लड़कियों का नामांकन केवल 45 प्रतिशत ही है। वर्ष 2010–11 में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 9445.931 करोड़ रूपये का आवंटित किया गया वर्ष 2009–10 के 8422.02 करोड़ रूपये की तुलना में जो की पिछले वर्ष की तुलना में 10.84 प्रतिशत अधिक है। शिक्षा के क्षेत्र में

शेष पृष्ठ 2 पर

: : कृपया ध्यान दें : :

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (BARC) का कार्यालय 15 नवम्बर के बाद निम्न पते पर चला जायेगा :–

प्लॉट नं. 62, गली नं. 3, केशव नगर, सिविल लाईन्स, जयपुर

मोब. नं. 9828465903 (नगेन्द्र सिंह), 9828488855 (नेसार अहमद)
हमारे ई–मेल पते यथावत रहेंगे।
E-Mail : info@barcjaipur.org Website : www.barcjaipur.org
हमारे कार्यालय का नया फोन नं. 15 नवम्बर के बाद हमारे वेबसाईट पर उपलब्ध होगा।

विरोधाभासी है अनुसूचित जाति व जनजाति उपयोजना के आंकड़े

आयोजना विभाग द्वारा दोनों उपयोजनाओं में अधिक खर्च की रिर्पोटिंग

अनुसूचित जाति के लोगों की सामजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति सुधारने और उन्हें वर्षों से चले आ रहे दमन व शोषण से निजात दिलाने के लिए देश में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति उपयोजना लागू की गई थी। अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत राज्य की योजना का आकार उस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर तय होना चाहिए। यानि की अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए बजट का आवंटन होना चाहिए। राजस्थान में 17.34 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की है अतः राज्य के आयोजना बजट के आकार की 17.34 प्रतिशत राशि अनुसूचित जातियों के विकास के लिए व्यय की जानी चाहिए। योजना विभाग के अनुसार पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत वर्ष 1979–80 तक राज्य आयोजना बजट की 2.75 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए खर्च की गई थी, जो कि वर्ष 2006–07 में बढ़कर 15.91 प्रतिशत हो गई।

राज्य में अनुसूचित जाति की अधिसंख्य आबादी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रुप से काफी पिछड़ी हुई है। फिलहाल 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का चौथा वर्ष चल रहा है, लेकिन अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए आवंटित राशि अभी भी मानदंडों से बहुत कम है।

11वीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए तय किए गए उद्देश्यों में अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को महत्व देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, अनुसूचित जाति जनसंख्या में प्रति व्यक्ति निवेश को बढ़ाना, राज्य आयोजना में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु आयोजना व्यय को इनकी जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित करना तथा सघन आबादी वाले अनुसूचित जाति क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास एवं विस्तार करना था।

उपरोक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर 10872.08 करोड़ की राशि व्यय करना प्रस्तावित है। इस राशि में से वर्ष 2007–08 में 1998.94 करोड़ रुपए, तथा वर्ष 2008–09 में 2352.35 करोड़ रुपए व्यय किए गए। वर्ष 2009–10 के संशोधित बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 2780.48 करोड़ एंव वर्ष 2010–11 में 3674.41 करोड़ रुपए व्यय करना प्रस्तावित है। पिछले चार वर्षों में इस योजना के तहत 10 हजार 805 करोड़ रुपए खर्च हो जायेंगे।।

11वीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति उपयोजना का हाल

(राशि– करोड़ रुपये में)

वर्ष	आयोजना विभाग	अनुसूचित जाति उपयोजना बजट पुस्तिका		
		सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	कुल
2007–08	1998.94(14.49%)	172.49	80.89	253.37(2.36%)
2008–09	2352.35 (15.75%)	285.22	96.58	381.80 (3.13%)
2009–10 संशोधित	2780.48(16.04%)	308.57	91.84	400.41(2.96%)
2010–11 प्रस्तावित	3674.17(16.38%)	332.09	266.90	598.99(4.07%)
कुल योग	10805	1634.57		

स्रोत : (1) आयोजना बजट, योजना विभाग, राजस्थान, (2) बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान

उपरोक्त तालिका पर नजर डालें तो योजना विभाग एवं वित्त विभाग के आंकड़ों में भारी विरोधाभास देखने को मिलता हैं। योजना विभाग के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007–08 से 2010–11 के बिच प्रतिवर्ष राज्य के आयोजना आकार की 14.50 प्रतिशत से 16 प्रतिशत के करीब राशि व्यय की गई, जबकि वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के इन चार वर्षों में राज्य के आयोजना आकार की मात्र दो से चार फीसदी राशि ही व्यय की गई है।

जनजाति उपयोजना :

जनजाति उपयोजना जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक तथा जन जातियों को विभिन्न प्रकार के शोषण से मुक्त कराने के लिए 1979 में अपनाई गई थी। योजना आयोग के अनुसार प्रत्येक राज्य को अपने आयोजना बजट को राज्य में जनजाति वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में इस योजना के लिए आवंटित करना चाहिए। 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में जनजाति वर्ग की जनसंख्या 70.97 लाख है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 12.56 प्रतिशत है। अतः राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का कम से कम 12.56 प्रतिशत हिस्सा जनजाति उपयोजना के लिए आवंटित करना चाहिए। पांच पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है एवं 11वीं पंच वर्षीय योजना का चौथा वर्ष चल रहा है, लेकिन जनजाति उपयोजना का सही कियान्वयन नहीं हो पा रहा है। जनजाति उपयोजना के तहत तय किए गए लक्ष्यों में बेराजगारी एवं गरीबी को कम करके आय विषमताओं को समाप्त करना, आदिवासियों को आर्थिक एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाकर मानव संसाधन का विकास करना, शैक्षिक विकास द्वारा जनजाति वर्ग में आत्म विश्वास को बढ़ाना, आदिवासी क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं का विकास, जनजाति वर्ग को भौतिक एवं मानवीय शोषण से मुक्ति, विभिन्न प्रकार के शोषणों के विरुद्ध सहायता मुहैया करवाना एवं आदिवासियों के विकास के लिए क्षेत्रिय एवं व्यक्तिगत विकास की रणनीति को अपनाकर सम्पूर्ण जीवन स्तर में सुधार लाना है।

उपरोक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में जनजाति उपयोजना के लिए विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर 8593.82 करोड़ की राशि व्यय करना प्रस्तावित है। इस राशि में से 1203.34 करोड़ रुपए वर्ष 2007–08 में तथा 1454.08 करोड़ रुपए वर्ष 2008–09 में व्यय किए गए। वर्ष 2009–10 के संशोधित बजट में जनजाति उप योजना के तहत 2115.35 करोड़ एंव वर्ष 2010–11 में 2807.41 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार पिछले चार वर्षों में जनजाति उपयोजना के तहत 7792 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं जो कि 11 वीं पंचवर्षीय योजना के कुल आयोजना आकार की 90.67 प्रतिशत होती है।

11वीं पंचवर्षीय योजना में जनजाति उपयोजना की स्थिति

(राशि– करोड़ रुपये में)

वर्ष	आयोजना विभाग	अनुसूचित जाति उपयोजना बजट पुस्तिका		
		सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	कुल
2007–08	1203.34(8.72%)	247.26	176.50	423.76 (3.86%)
2008–09	1666.27(11.16%)	249.22	135.32	384.54(3.15%)
2009–10 संशोधित	2115.35(12.20%)	340.03	134.52	483.52 (3.57%)
2010–11 प्रस्तावित	2807.41(12.51%)	414.66	257.82	672.48(4.57%)
कुल योग	7792.37	1964.30		

स्रोत : (1) आयोजना बजट, योजना विभाग, राजस्थान, (2) बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान

उक्त सारणी में वर्णित तथ्यों के आधार पर जब 11 वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित जनजाति उपयोजना आकार 8593.32 करोड़ रुपए की तुलना राज्य बजट पुस्तिका में उल्लेखित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों में पिछले चार वर्ष में व्यय किए गए 1964.30 करोड रुपए से करते हैं तो यह कुल आयोजना आकार का मात्र 22.82 प्रतिशत होता है।

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु मानदंड से बहुत कम बजट आवंटित एवं व्यय किया जा रहा है। दोनों ही उपयोजनाओं के लिए आवंटित बजट के योजना विभाग एवं वित्त विभाग के आंकड़ों मे भारी अंतर है। अतः सरकार को इस संबंध में जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

पृष्ठ 1 का शेष भाग

...बिना बजट कैसे सुधरे बच्चों की सेहत?

बजट आवंटन में वृद्धी तो देखने को मिली है परन्तु शिक्षा का अधिकार कानून जैसे कार्यक्रमों को सुदृढ़ रूप से लागू करने के लिए जिला शिक्षा प्रणाली के अनुसार पाई गई कमियों को दूर करने के लिये सरकार को और ठोस कदम उठाने होंगे।

बाल सुरक्षा : बाल विकास के संदर्भ में बाल सुरक्षा भी एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्धा है परन्तु ना केवल राजस्थान में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे नजर अंदाज किया जा रहा है। परिणाम स्वरुप भारत में बाल मजदूर सबसे अधिक है। राज्य बजट में से बाल सुरक्षा के क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में केवल 0.02 प्रतिशत राशि व्यय की गई है। वर्ष 2010–11 में भी केवल 14.40 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है अर्थात पिछले वर्षों की तुलना में राज्य बजट में से बाल सुरक्षा के लिये आवंटित राशि में केवल 0.02 प्रतिशत की वृद्वी की गई। जबकि बाल सुरक्षा के नज़रिये से राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि बहुत ही कम है राज्य में बाल शोषण, बाल मजदूर एवं बाल तस्करी जैसी अवैद्य गतिविधियों को रोकने के लिये।

कुल मिलाकर राज्य सरकार द्वारा बच्चों के लिये आवंटित बजट उनकी प्राथमिकता को देखतें हुऐ आवंटित नहीं किया जा रहा है परिणाम स्वरूप राज्य में अभी भी बच्चों का विकास ज्यों का त्यों ही बना हुआ है एवं वे अभी भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में बच्चों में बड़ता कुपोषण, बिगडता स्वास्थ्य, बाल मजदूरी के माध्यम से बच्चों का शोषण लगातार बड़ रहा है। वही दुसरी ओर सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून लागू किया गया है परन्तु 100 प्रतिशत नामांकन, बच्चों की स्कूलों में वापसी और साथ ही सभी बस्तियों में शिक्षा सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिये और अधिक बजट एवं संसाधनों की आवश्यकता है। पोषण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा आदि क्षेत्रों में 10 प्रतिशत से भी कम राशि आवंटित किये जाने से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं सुरक्षा आदि क्षेत्रों में कोई बदलाव नही आने वाला है।

सरकारी शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार

झुनझुना साबित होगा अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा कानून

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 देश भर में एक अप्रेल 2010 से लागू हो गया है। इस कानून के लागू होने के साथ ही देश के सभी राज्यों में छह से चौदह वर्ष तक के गरीब एवं वचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है।

इस कानून के अनुसार स्कूल में आधारभुत सुविधांए होना आवश्यक हैं। प्रत्येक स्कूल में स्वच्छ जल की व्यवस्था, खेल मैदान की व्यवस्था, क्लास रूम की व्यवस्था, अध्यापक की व्यवस्था, होनी चाहिए। हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि यह कानून उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने या तो गरीबी के कारण स्कूल की दहलीज पर कदम ही नहीं रखा या फिर कमजोर आर्थिक स्थिति या किसी मजबूरी के कारण बीच में स्कूल छोड़ दिया। मैं भी गरीब एवं वचिंत बच्चों के लिए ही यह कानून मानता हूं क्योंकि सम्पन वर्ग के लिए इस तरह के कानून का कोई मतलब नही है। संपन्न वर्ग के बच्चें तो उन पांच सितारा स्कूलों में जाते हैं जहां के कमरे वातानुकूलित, मल्टीनेशनल कंपनियों का पानी और घर से स्कूल आने–जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था है। संपन्न वर्ग के इन बच्चों को न तो बीच में स्कूल छोड़ना पड़ता है ओर न ही इन्हें आधारभूत सुविधाओं की कोई चिंता होती है। इन बच्चों की ड्राप आउट दर शुन्य होती है। ये बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन नही होते यदि होते भी हैं तो वो अपने लक्ष्य (पैसा कमाना) को प्राप्त कर रहे होते हैं। इन पंच सितारा स्कूलों में लड़के लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट होते हैं और मनोरंजन तथा सीखने–सिखाने के तमाम अत्याधुनिक साधन मौजूद होते हैं।

अब सवाल यह उठता है कि आजादी के 63 साल बाद कौनसे बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून चाहिए। उत्तर साफ है इन पंचसितारा स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को तो इस तरह का कोई अधिकार या कानून नहीं चाहिए यह कानून तो उन बच्चों के लिए एक झुनझुने की तरह है जिनके मां–बाप दिनभर हाड़–तोड़ मेहनत करने के बाद भी 50–60 रुपया मुश्किल

शेष पृष्ठ 3 पर

खर्चा पूरा कल्याण अधूरा

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में लक्ष्यों से दूर

11 वीं पंचवर्षीय योजना समाप्ति की ओर है, लेकिन इस योजना के तहत तय किए गए लक्ष्य अभी भी दूर की कौड़ी नजर आ रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए योजना की शुरुआत में तय किए गए लक्ष्यों को हासिल कर पाना अभी भी काफी दूर है। विडंबना यह है कि इन वर्गों के विकास के लिए अनाप–शनाप पैसा बहाने के बावजूद लक्ष्यों की गति काफी धीमी है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित की गई राशि का शत प्रतिशत हिस्सा व्यय किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रस्तावित की गई राशि भी खर्च की जा चुकी है, लेकिन पिछले चार वर्षों में स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़ों में कोई विशेष बदलाव नहीं दिखाई दिया है।

राजस्थान को स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ें राज्यो की श्रेणी में गिना जाता है और विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के क्षेत्र में तो यह पायदान और भी अधिक नीचे खिसकता हुआ जा रहा है। राज्य के कमजोर स्वास्थ्यगत ढ़ाचें को ध्यान में रखते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने से पूर्व वर्ष 2007 से 2012 की अवधि के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इन लक्ष्यों के तहत वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्वि दर 28.41 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत तक लाना, प्रजनन दर को 4. 1 प्रति महिला से कम करके 2.1 प्रति महिला तक लाना और राज्य में जन्म दर को 29 प्रतिशत से घटाकर 22.6 प्रतिशत तक लाना निर्धारित किया गया।

इसी तरह शिशु एवं मातृत्व कल्याण के क्षेत्र में राज्य में तत्कालीन शिशु मृत्यु दर 67 प्रति हजार जन्म से घटाकर 32 तक लाना एवं मातृ मृत्यु दर 445 प्रति लाख प्रसव से घटाकर 148 प्रति लाख प्रसव तक लाना निर्धारित किया गया। इसी के अंर्तगत योजना से पूर्व राज्य में संस्थागत प्रसव 32 प्रतिशत के बढ़ाकर 70 प्रतिशत किए जाना तथा बच्चो में टीकाकरण के 27 प्रतिशत के तत्कालीन स्तर को बढ़ाकर 65 प्रतिशत तक पहुंचाना लक्ष्य रखा गया।

अब अगर योजना की गत अवधि में किए गए व्यय पर एक नजर डाली जाए तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए योजना के चार वर्षों (2007–11) में स्वीकृत की गई 1675 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में अक्टूबर 2010 तक लगभग 854 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत पांच वर्षों के लिए प्रस्तावित 473 करोड़ रुपए की तुलना में चार वर्षों (प्रस्तावित 2010–11 सहित) में लगभग 214 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके है, जिसमें 2010–11 के लिए अनुमानित राशि भी शामिल है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत लगभग 360 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके है जिनमें से 145 करोड़ रुपए वर्ष 2010–11 में व्यय किए जाना प्रस्तावित है। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में महिला विकास कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2009 तक लगभग 37 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं तथा बाल विकास परियोजनों के अंर्तगत पोषण कार्यक्रम के तहत व्यय लगभग 524 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित किए गए पांच करोड़ रुपए में से पिछले तीन वर्षो (2007–10) में कुछ भी व्यय नहीं किया गया। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अगर राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए योजना के पूर्व वर्षो 2007–08, 2008–09 में किए गए वास्तविक व्यय, 2009–10 के संशोधित व्यय अनुमान एवं 2010–11 हेतु प्रस्तावित व्यय (लगभग 475 करोड़) का योग किया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 1490 करोड़ रुपए आता है, जबकि योजना अवधि (2007–12) के लिए 1477 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। योजना आयोग द्वारा वर्ष 2010–11 के लिए प्रस्तावित व्यय के आंकड़ों से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए योजना का आकार 100 प्रतिशत से अधिक हो चुका है जबकि 2011–12 के लिए प्रस्तावित की जाने वाली राशि से राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के विकास हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना के आकार में और अधिक वृद्वि हो जाएगी।

लक्ष्य प्राप्ति की अगर बात की जाए तो वर्ष 2007 में राज्य में जो मातृ मृत्यु दर 445 प्रति लाख प्रसव पर थी वह योजना के अंर्तगत निर्धारित 148 लक्ष्य के विपरीत वर्तमान में 388 पर अटकी हुई है। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर 32 के लक्ष्य के विरुद्व तत्कालीन स्तर 67 से थोड़ी सी नीचे 63 पर ठहरी हुई है। जनसंख्या वृद्वि दर 12 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्व 20.7 प्रतिशत तक प्राप्त हो पाई है जिसमें अभी और भी कमी किए जाना बाकी है। विटामिन ए का कवरेज 90 प्रतिशत के लक्ष्य के विपरीत 50.8 प्रतिशत हो पाया है। संस्थागत प्रसव के अंर्तगत निर्धारित लक्ष्य 70 प्रतिशत के विपरीत अभी तक 45 प्रतिशत तक उपलब्धि हासिल की जा सकी है एवं टीकाकरण के अंर्तगत 65 प्रतिशत के लक्ष्य के विपरीत प्राप्त आंकड़ा 48 प्रतिशत पर अटक कर रह गया है। राज्य में ढ़ाचागत स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात भी कोई बेहतर नहीं है।

योजना के प्रारम्भ होने से पूर्व वर्ष 2007 में राज्य में 337 सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र थे जिन्हें बढ़ाकर 475 किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इसके विपरीत मार्च 2010 तक राज्य में 368 सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र अर्थात विगत 3 वर्षो में मात्र 31 नये सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र ही बनाए गए हैं। इसी तरह वर्ष 2007 में राज्य में 1449 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे जिनके लिए 1704 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मार्च 2010 तक राज्य में 1504 सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र अर्थात विगत 3 वर्षो में मात्र 55 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हो पाई है।

जैसा कि पूर्व में भी बताया गया कि राज्य में जिस प्रकार से खर्चा किया जा रहा है उसके अनुरुप लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता नहीं मिल पा रही है। अभी तक के हालातों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि योजना के समाप्ति वर्ष 2012 तक राज्य में स्वास्थ्य सुधार, तथा महिला एवं बाल विकास से संबधित जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन्हे प्राप्त कर पाना किसी भी दृष्टि से संभव नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं कि संबंधित विभागों में किए जा रहा असमान एवं विषमगत व्यय इस लक्ष्य को ओर अधिक दूर कर देगा। जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण पर योजना के अंर्तगत इन चार वर्षों में अनुमानित की गई कुल राशि का मात्र 52 प्रतिशत हिस्सा व्यय हो पाया है। जबकि दूसरी तरफ गैर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के तहत अनुमानित की गई कुल राशि का 135 प्रतिशत हिस्सा व्यय किया जा चुका है जिसमें वर्ष 2010–11 का अनुमानित व्यय भी शामिल है। यह तो सिर्फ एक बानगी भर है अगर आंकडों की गहराई में झांक कर देखे तो काफी विषमताएं देखने को मिलेंगी जो कि योजना के लक्ष्यो की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा साबित हो सकते हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंर्तगत निर्धारित किए गए लक्ष्य वास्तविक आंकड़ों की पहुंच से बहुत परे हैं। इनमें से अधिकांश लक्ष्य सहस्त्राब्दि के लक्ष्यों के अंर्तगतं भी शामिल हैं जिन्हे वर्ष 2015 तक हासिल किए जाना है। यदि महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में विकास की यही गति रही तो राज्य की महिलाओं एवं बच्चों का स्वास्थ्यगत कल्याण इस योजना के अंतिम वर्ष 2012 तक तो क्या सहस्त्राब्दि लक्ष्यों के लिए निर्धारित वर्ष 2015 तक भी हासिल करना संभव नहीं होगा।

राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण में राज्य एवं देश का कल्याण भी निहीत है। इसके लिए प्रयास यह किए जाने चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में खर्च की जाने वाली राशि का सर्वोत्तम उपयोग हो एवं उचित अवधि में योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हो।

वर्ष 2010–11 के बजट में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए लगभग दो हजार 928 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित किया गया है जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (अनुमानित) का लगभग 1.2 प्रतिशत है। वर्ष 2010–11 में बजट के अंर्तगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए योजना का आकार लगभग 475 करोड़ रुपए रखा गया है जो कि वर्ष 2010–11 के लिए योजना के कुल आकार 22422 करोड़ रु का लगभग 2.11 प्रतिशत है। चूंकि इस राशि में से बहुत सा हिस्सा राज्य की महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्यगत कल्याण के लिए व्यय किया जाएगा अतः उम्मीद की जा सकती है कि यह बढ़ी हुई राशि राज्य की महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्यगत कल्याण के साथ ही 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक साबित होगी।

पृष्ठ 2 का शेष **...सरकारी शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार**

से कमा पाते हैं। शिक्षा का कानून चाहिए उन गरीब बच्चों को जिनके घर के आस–पास कोई सरकारी स्कूल नही हैं। कहीं स्कूल है तो उसमें अध्यापक नहीं हैं। अध्यापक हैं तो वे पढ़ाते नहीं हैं या फिर इन गरीब बच्चों को पढ़ाना वो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। अध्यापकों की इसी गुस्ताखी का नतीजा है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा पांच में पढ़ने वाले बच्चों को किताब पढ़ना और गणित के मामूली सवाल हल करने नहीं आते हैं।

आज निजी विद्यालय में पढ़ने वाला कक्षा एक का छात्र फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, लेकिन सरकारी स्कूल के कक्षा पांच के छात्र को अंग्रेजी बोलना तो दूर अंग्रेजी अक्षरों की पहचान तक मालूम नहीं है। अपने आपको शिक्षाविद कहने वाले कुछ लोगों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन देश में जब आर्थिक संसाधनों का बंटवारा अंग्रेजी के ज्ञान के आधार पर ही तय किया जा रहा हो तो उसमें हमारी सरकारी स्कूल का बच्चा कहां ठहरता है? आज शिक्षा के क्षेत्र में नित नए बदलाव आ रहे हैं। कंप्यूटर और अंग्रेजी का ज्ञान आज हर नौकरी के लिए जरुरी हो गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे तो अब चपरासी या बाबू की नौकरी के लिए भी योग्य नहीं रहे हैं, क्योंकि आजकल इन पदों के लिए भी कंप्यूटर का ज्ञान होना जरुरी है जो बिना अंग्रेजी पढ़े हासिल कर पाना संभव नहीं है। आज हर क्षेत्र में अंग्रेजी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फिर चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो अथवा गैर सरकारी क्षेत्र। या यूं कहें कि अंग्रेजी आज जीवन यापन का सबसे अहम अंग बन गई है तो भी अतिश्योक्ति नहीं होगी।

सरकार वंचित वर्ग के बच्चों को अगर सही मायने में यह अधिकार देना चाहती है तो उसे हमारी सरकारी स्कूलों का ढांचा सुधारना होगा। सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारना इस समय की सबसे अहम आवश्यकता है। इसके लिए जरुरी है कि प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में सुधार कर शिक्षकों की जवाबदेहिता तय की जाए। सरकारी स्कूलों में हर कक्षा के लिए एक स्तर तय किया जाए, किसी स्कूल में यदि बच्चों को उस स्तर की शिक्षा नहीं मिल पाती है तो इसके लिए वहां के शिक्षकों को जिम्मेदार माना जाए।

एक तरफ सरकार चाईल्ड ट्रेकिगं सर्वे करवा रही हैं। शहर की कॉलोनियों में स्कूल नही जाने वाले बच्चों को खोजा जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि आजादी के 60 साल बाद भी गरीबों के बच्चों को स्कूल तक लाने के सरकार को खोजो अभियान चलाना पड़ रहा है। हमारा मानना है कि गरीब वर्ग के इन बच्चों के स्कूल नहीं आने के पीछे उनकी आर्थिक स्थिति सबसे बड़ा कारण है। आज आम आदमी के मन में इस बात ने गहरी पैठ बना ली है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अब नौकरी नहीं मिलने वाली। इसलिए जरुरी है कि सरकार इस दाग को धोए।

हमारी लचर सरकारी स्कूल व्यवस्था को समझने के लिए स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर नजर डालना जरुरी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार राज्य में वरिष्ठ अध्यापकों के 31 हजार 913 पद स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 18 हजार 197 पद खाली हैं। यानि वरिष्ठ अध्यापकों के 57 फीसदी पद खाली पड़े हैं। इसी तरह राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 2 लाख 30 हजार 150 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 46 हजार 982 पद खाली पड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की हालत तो ओर भी बुरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षकों के 60–70 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। राज्य में कक्षा एक से आठवीं तक दो लाख 62 हजार 63 शिक्षकों के पद स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 65 हजार 179 पद खाली पड़े हैं। राज्य में इस समय 75 हजार 615 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें से 18.65 फीसदी विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। प्रदेश के 93.17 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है तो 54.35 फीसदी स्कूलों में विकलांग छात्र–छात्राओं के लिए रैंप की व्यवस्था नहीं है।

हमारे सरकारी स्कूल निजी स्कूलों के मुकाबले कितने पिछड़े हैं इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रदेश में 37.83 फीसदी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के लिए अलग से कमरा नहीं है। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा का हाल तो अभी दूर की कौड़ी है। प्रदेश के 98.11 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जिनमें कंप्यूटर नहीं हैं तथा 59.69 प्रतिशत स्कूलों में खेल मैदान नहीं हैं।

अब जरा प्रारंभिक शिक्षा पर खर्च होने वाले धन पर नजर डालते हैं। राज्य में वर्ष 2010–11 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए 5819.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो राज्य के कुल बजट का 11.41 फीसदी है। वर्ष 2009–10 के मुकाबले इस साल का बजट 10 प्रतिशत अधिक है। राज्य के कुल शिक्षा बजट 5819.60 करोड़ रुपए में से 900 करोड़ रुपए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के लिए राज्यांश के तौर पर प्रस्तावित किए गए हैं। वर्ष 2009–10 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए 750 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे। अब सवाल यह उठता है कि 150 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि से सरकार इन गरीब बच्चों की शिक्षा में क्या सुधार कर पाएगी?

राज्य सरकार की मंशा को इसी बात से समझा जा सकता है कि उसने प्रारंभिक शिक्षा के पूंजिगत व्यय को पिछले साल की तुलना में घटाकर काफी कम कर दिया है। इस राशि से विद्यालय भवनों और शौचालयों जैसी सुविधाओं का विकास होना था। अब देखना यह है कि बजट घटाकर सरकार इन गरीब बच्चों के लिए विद्यालय भवन, कक्षा–कक्ष, पेयजल, रसोई, शौचालय, खेल मैदान जैसी सुविधाओं और अध्यापकों की नियुक्ति कहां से कर पाएगी?

कितना पारदर्शी है हमारा बजट ?

बजट का हर पहलू जनता को बताना जरुरी

सरकार के क्रियाकलापों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की बात तो लम्बे समय से उठ रही है, लेकिन राज्य के विकास के महत्वपूर्ण अंग बजट में पारदर्शिता की बात पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बजट में पारदर्शिता लाने से न केवल आम आदमी को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी मिलेगी बल्कि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

देश में केंद्र व राज्य सरकार ने कानून बनाकर लोगों को सूचना का अधिकार प्रदान किया है। शासन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए यह कानून उपयोगी साबित हुआ है। वार्षिक बजट सरकार के कार्यों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, इसलिए वार्षिक बजट में पारदर्शिता रखना अति आवश्यक है। वार्षिक बजट सरकारी आमदनी का ब्यौरा देता है, इसके पारदर्शी होने से आम आदमी को आमदनी के खर्च की पूरी जानकारी हासिल हो सकेगी।

बजट में पारदर्शिता से हमारा तात्पर्य यह है कि सरकार ने कौनसे क्षेत्र में कितना पैसा, कब खर्च किया, इन सबका विवरण आम आदमी को आसानी से मिल सके। बजट में पारदर्शित को मापने के कुछ ओर पैमाने भी हो सकते हैं मसलन –

- क्या सरकार बजट से संबंधित सभी दस्तावेज आम जनता को सहजता के साथ उपलब्ध कराती है तथा क्या बजट से संबंधित संपूर्ण जानकारी इन दस्तावेजों में होती है।
- सरकार जो दस्तावेज उपलब्ध करा रही है क्या वो आम जनता के आसानी के साथ समझ में आनी वाली भाषा में तैयार किए गए हैं।
- क्या ये दस्तावेज/रिपोर्ट /स्टेटमेन्ट सही समय पर प्रकाशित हो रहे हैं?
- सरकारी कार्यों और ऑडिट रिपोर्ट में कितनी प्रगति हुई है, क्या सरकार ने इसकी किसी भी माध्यम से आम जनता को जानकारी उपलब्ध कराई है?
- विधानसभा में बजट पर जो एक माह तक बहस चलती है या बजट के विभिन्न पहलूओं पर आलोचनात्मक चर्चा होती है, क्या सरकार ने उसका विवरण आम आदमी तक पहुंचाया है।
- बजट से संबंधित आंतरिक उपयोग के लिए बनाए गए दस्तावेज हमारे जनप्रतिनिधियों और आम जन को उपलब्ध कराए जाते हैं।
- दलित, आदिवासी व वचिंत समूह के लिए जो बजट तैयार किया जाता है, उसका विवरण विस्तार के साथ उपलब्ध कराया गया है अथवा नहीं
- पचांयतो व शहरी निकायों के लिए अब अलग से धन उपलब्ध होता है, क्या उसका विवरण सरकारी बजट में दिया गया है? प्रदेश के प्रत्येक पंचायत को कितनी राशि आवंटित हुई और उसमें से कितनी राशि का कहां उपयोग किया गया, क्या ये सभी जानकारियां सार्वजनिक की गई हैं?

कोई भी जनतांत्रिक सरकार यदि उपरोक्त सभी बिंदुओं पर अमल करती है तो हम उसे एक जवाबदेह और पारदर्शी सरकार मान सकते हैं। ये ही वो पैमाने हैं जो सरकारी पारदर्शिता को मापने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बार्क कृषि कॉन्फ्रेस के सुझाव

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, ने दिनांक 30 व 31 अगस्त 2010 को विकास अध्ययन संस्थान (IDS) झालाना डूंगरी, जयपुर में राज्य स्तरीय दो दिवसीय एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का अयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस् में राज्य के कृषि अनुसधान केन्द्र के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषि की स्थिति पर अनुसंधान पत्रों के माध्यम से राजस्थान में कृषि का महत्व, कृषि से जुडी विभिन्न सस्थाओं जैसे सहकारी समितियां, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विश्वविधालय, स्वयं कृषि सहायता समुह आदि, कृषि व्यापार तथा विपणन, सिंचाई तथा अन्य ढांचागत संरचना, सहायक गतिविधियां जैसे, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी आदि, कृषि, अकाल एवं जलवायु परिर्वतन, महिला किसान तथा राज्य के लिए कृषि निति आदि विषयों पर चर्चा की गई।

इस एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेस से कुछ सुझाव निकल कर आए जो निम्न हैं।

- राज्य में कृषि नीति बनाई जाए।
- कृषि को प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना जाए।
- छोटे एवं सीमांत किसानों को विशेष समुह माना जाए।
- राज्य में आनुवांशिक परिर्वधित बीज को हतोत्साहित किया जाए।
- किसानों को कृषि उत्पाद का सही मूल्य मिले इसकी व्यवस्था हो
- कृषि योजनाएं एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन के अनुसार बने।
- कृषि नीति, पशुपालन नीति, जल नीति, वन नीति, भू–उपयोग नीति, खाद्य प्रसंस्करण नीति, बीज नीति, खाद नीति, बिजली नीति, सिचाई नीति आदि में समन्वय होना चाहिए।
- किसानों को सीधा अनुदान देने पर विचार करना चाहिए।
- फसल बीमा सरल एवं सीधा होना चाहिए।
- छोटे किसानों को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना चाहिए।
- पशुपालन पर विषेश ध्यान देना चाहिए तथा पशुपालन विकास के लिए पशुपालकों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराना चाहिए।
- कृषि एवं पशुपालन विभाग का बजट बढाना चाहिए।
- लघु सिचाई के लिए बजट बढाना चाहिए।
- अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा कानुन लागू कर स्थानीय समुदाय को वन उपज पर नियंत्रण देना चाहिए।
- कृषि से जुड़े परम्परागत ज्ञान का उपयोग होना चाहिए।
- पारम्परिक सिंचाई साधनों तथा जल संग्रहण के पद्धतियों पुर्नजीवित किया जाना चाहिए।
- कृषि आयोजना में समुदायों तथा पंचायतों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए।
- महिला किसान को किसान के रूप में माना जाए।
- जैव विविधता तथा परम्परागत ज्ञान में महिलाओं की भूमिका को मान्यता मिले।
- महिलाओं को भू अधिकारों तथा सम्पती के अधिकारों को मान्यता मिले।
- सामाजिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता।

: : कृपया ध्यान दें : :

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र **(BARC)** का कार्यालय 15 नवम्बर के बाद निम्न पते पर चला जायेगा :–

प्लॉट नं. 62, गली नं. 3, केशव नगर, सिविल लाईन्स, जयपुर

मोब. नं. **9828465903** (नगेन्द्र सिंह), **9828488855** (नेसार अहमद)
हमारे ई–मेल पते यथावत रहेंगे।
E-Mail : info@barcjaipur.org Website : www.barcjaipur.org
हमारे कार्यालय का नया फोन नं. 15 नवम्बर के बाद हमारे वेबसाईट पर उपलब्ध होगा।

आपका पन्ना.....

बजट समाचार आपका अपना अखबार है। बजट समाचार में प्रकाशित हर सामग्री पर आप अपनी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। भविष्य में बजट समाचार को आप किस रुप में देखना चाहते हैं तथा किन मुद्दों और विषयों पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरुरत है, इन तमाम पहलूओं पर हमारा ध्यान दिला सकते हैं। बजट समाचार के लिए आपकी ओर से भेजे गए हर सुझाव का हम स्वागत करते हैं।

–संपादक

संपादक – नेसार अहमद व नगेन्द्र सिंह
संपादक मण्डल – मुकेश कुमार बंसल, रागिनी शर्मा, महेन्द्र सिंह राव, दीप्ति कोठारी
सहयोग – सीताराम मीणा
सलाहकार – डॉ. जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं:

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

बुक पोस्ट

सेवा में,

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

.....

..... पिन कोड.....